

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1163]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ.1732(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3क के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2043 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 14 अगस्त, 2008 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

- (क) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि "ठाणे" के स्थान पर प्रविष्टि "पालघर" प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (ख) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 के सामने, तालुक "वसई" से संबंधित कॉलम (5) से पहले, कॉलम (4) में नई प्रविष्टि "पालघर" अंतर्स्थापित की जाएगी ;
- (ग) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 के सामने, तालुक "ठाणे" से संबंधित कॉलम (5) से पहले, कॉलम (4) में नई प्रविष्टि "ठाणे" अंतर्स्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/एमसी-।।/फेस-V/एलए/सूरत-दहिसर/भाग]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

पाद टिप्पणी:-मूल अधिसूचना का.आ. 2043 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2008, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी जो बाद में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 26 फरवरी, 2009 में का.आ. 553 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2009 के द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12 May, 2016

S.O. 1732(E) .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S. O. 2043 dated 14.08.2008, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 14.08.2008, namely:-

- (a) In the schedule to said notification, against Serial Number 1 relating to District in Column 4, for the entry “Thane”, the entry “Palghar” shall be substituted.
- (b) In the schedule to said notification, against Serial Number 2, before column 5 relating to Taluka Vasai, the new entry “Palghar” shall be inserted in column no.4.
- (c) In the schedule to said notification, against Serial Number 2, before column 5 relating to Taluka Thane, the new entry “Thane” shall be inserted in column no.4.

[F. No. NHAI/ MC-II/ Phase V/ LA/Surat-Dahisar/Pt.]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote :- The principal notification was published vide S.O. No. 2043 (E) dated 14.08.2008 , in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), subsequently amended vide S.O. No. 553(E) dated 26.02.2009 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 26.02.2009.